



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1185]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2011/ज्येष्ठ 30, 1933

No. 1185]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2011/JYAISTHA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2011.

**का.आ. 1423(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड ) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 239 (अ) तारीख 24 मार्च 1998 , का.आ. 465 (अ) तारीख 26 अप्रैल , 2002 और का.आ. 78 (अ) तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 के 164.750 कि.मी. से 180.820 कि.मी. ( नेल्लौर बाईपास सेक्शन ), 180.820 कि.मी. से 182.820 कि.मी. (आंध्रप्रदेश / तमिलनाडु सीमा से विजयवाडा सेक्शन ), 182.820 कि.मी. से 354.775 कि.मी. (तमिलनाडु / आंध्रप्रदेश सीमा से विजयवाडा सेक्शन ) और 354.775 कि.मी. से 434.150 कि.मी. ( चिलाकालूरुपेट से विजयवाडा सेक्शन ) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था ;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 358.000 कि.मी. से 178.200 कि.मी. ( नया चैनेज 1182.802 कि.मी से 1366.547 कि.मी. ) ( चिलाकालूरुपेट - नेल्लौर सेक्शन ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है ) तक के विद्यमान चार लेन वाले सेक्शन को छः लेन का बनाने, प्रचालन और अनुसंधान के लिए मैसर्स सिमाहापुरी एक्सप्रेसवे लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय मंच सं. 555, अरोरा कालोनी , रोड सं. - 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500034 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'रियायतग्राही कहा गया है) के साथ डिजाईन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण के आधार पर एक करार किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क

परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1524 (अ) तारीख 12 सितम्बर 2006, का.आ. 1523 (अ) तारीख 12 सितम्बर 2006 और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1075 (अ), तारीख 28 जुलाई 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रवर्गों के लिए फीस, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट आधार दर पर उद्गृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, समाप्ति की तारीख तक, उक्त नियमों के अनुसार वास्तविक फीस को संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात् :-

### सारणी I

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर ( रुपये में )
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी ( भ.सं.म. ) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ. ) या बहुधुरीय यान ( ब.धु.य. ) (तीन से छह धुरी )	3.45
5.	अधिक बड़े आकार वाले यान ( सात या अधिक धुरीय)	4.20

### सारणी II

वर्ष 2007-08 के लिए पचास करोड़ से अधिक लागत से निर्मित संरचना और जो कि उक्त सेक्शन का एक भाग है, के उपयोग के लिए आधार फीस दर

फीस की आधार दर ( प्रति यान प्रति फेरा )					
स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग की लागत ( करोड़ ₹ )	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान	विशाल आकार यान
10 से 15	5	7.50	15	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक	1	1.50	3	4.50	6

प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, दो सौ करोड़ रुपए से अधिक	0.50	0.75	1.50	2.25	3

1. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा।

(क) निर्माण अवधि के दौरान

क्रम सं.	पथकर - प्लाजा का अवस्थान	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर 1200.000 कि.मी.	70.945
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर 1264.000 कि.मी.	69.000
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर 1326.000 कि.मी. (1344.000 कि.मी. पर, फीस प्लाजा के निर्माण होने तक)	43.800

(ख) छ : लेन के पूरा होने के पश्चात्

क्रम सं.	पथकर - प्लाजा का अवस्थान	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर 1200.000 कि.मी.	60.695 कि.मी और ओंगोल बाईपास जिसकी लम्बाई 10.125 कि.मी होगी, जिसकी अनुमानित लागत 218.00 करोड़ रुपए है।
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर 1264.000 कि.मी.	69.000
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर 1326.000 कि.मी.	43.800

2. फीस के पूर्ववर्ती अवधारण की तारीख से छह मास की अवधि का अवसान न होने तक फीस का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/569/10-11/सी.ओ./जीसी-नेल्लौर (चिलकलारूपेट-नेल्लौर) बी.ओ.टी.]

बी. बी. महापात्र, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2011

**S.O. 1423(E).**— Whereas, the Central Government by notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport ( Roads Wing) number S.O. 239 (E), dated the 24<sup>th</sup> March 1998, S.O. 465 (E), dated the 26<sup>th</sup> April 2002, and S.O. 78 (E), dated the 04<sup>th</sup> February 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), (hereinafter referred to as said Act), entrusted the stretches from Km 164.750 - Km 180.820 (Nellore bypass section), Km 180.820 - Km 182.820 (Andhra Pradesh/Tamil Nadu Border to Vijaywada section), Km 182.820 - Km 354.775 (Tamil Nadu / Andhra Pradesh Border to Vijaywada section) and Km 354.775 - Km 434.150 (Chilakaluripet to Vijaywada section), of national highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Simhapuri Expressway Limited, having its registered office at Mch No. 555, Arora Colony, Road no. 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, Andhra Pradesh, India (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing four lane section from Km 358.000 to Km 178.200 (New Chainage from Km 1182.802 to Km 1366.547) ( Chilakaluripet - Nellore section) of the National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the said section) to six lane divided carriageway on Design, Build, Finance, Operate and Transfer ( DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 A of the National Highways Act, 1956 read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1524 (E), dated the 12<sup>th</sup> September 2006, S.O. 1523 (E), dated the 12<sup>th</sup> September 2006 and S.O. 1075 (E), dated the 28<sup>th</sup> July 2005 except as respects things done or omitted to be done before such superssion, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on category of mechanical vehicles specified in the following Tables, for the use of said section at the base rate specified thereof, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the actual fee subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the said Concession Agreement on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:--

TABLE I

Sl. No.	Type of Vehicle.	Base rate of fee per vehicle per km per one-way trip for base year 2007-08. (In rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
3.	Bus or Truck.	2.20
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle. (MAV) (three to six axles)	3.45
5	Oversized Vehicles. (seven or more axles)	4.20

TABLE II

Base Rate of fee for the use of the structure costing more than rupees fifty Crores and forming part of the said section for the year 2007 -08

Base rate of fee (rupees per vehicle per one way trip)					
Cost of permanent bridge, bypass or tunnel (rupees in crores)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees fifteen crores and up to rupees one hundred crores.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees one hundred crores and upto rupees two hundred crores.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

2312 GE/11-2

For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	2.25	3
--	------	------	------	------	---

1. The fee shall be collected at the following locations of Toll Plazas for the distance specified against each Toll Plaza:

A. During construction period.

S. No.	Location of Toll Plaza.	Length (in km) for which Fee payable.
1	Km 1200.000 of NH- 5	70.945
2	Km 1264.000 of NH - 5	69.000
3	Km 1326.000 of NH - 5 (at Km 1344.000 till construction of fee plaza.)	43.800

B. After completion on of six laning.

S. No.	Location of Toll Plaza.	Length (in km) for which Fee payable.
1	Km 1200.000 of NH- 5	60.695 Km and Ongole Bypass of 10.125 Km length, the estimated cost of which is Rs. 218.00 Crores.
2	Km 1264.000 of NH- 5	69.000
3	Km 1326.000 of NH - 5	43.800

2. The revision of fee shall not be effected until a period of six months has elapsed from the date of the immediately preceding determination of fee.

[F. No. NHAI/13013/569/10-11/CO/GC-Nellore (Chilakaluripet-Nellore) BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director